राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –418/2007/नागौर

श्रीमती किरण बाला पत्नी खेमसिंह राठौड़
प्रो. किरण नमक उद्योग नावा
तहसील नावा जिला–नागौर .....प्रार्थीया.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, नावा
2. गुलाब चंद
3. राजेश
4. मुकेश पुत्रगण स्व. श्री किशन स्वर्णकार जाति स्वर्णकार निवासी जावदीनगर, नावा तहसील नावा जिला नागौर

.....अप्रार्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री पुष्पेद्र सिंह
अभिभाषक। .....प्रार्थीग की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी सं.1 की ओर से

अनुपस्थिति .....अप्रार्थी सं. 2 से 4 की ओर से

दिनांक : 08.06.2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त अजमेर (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण सं. 380/2003 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2006 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा–65 के तहत् प्रस्तुत किया गया।
2. उक्त प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण की ग्राम जावदी नगर तहसील नावा की आराजी खसरा नं. 144/3 रकबा 2.93 हैक्टयर भूमि क्रय करने का दस्तावेज दिनांक 18.10.2002 को उप पंजीयक, नावा के समक्ष पेश किया गया। उप पंजीयक नावा द्वारा उक्त दस्तावेज को कमी मुद्रांक का मान कर मालियत निर्धारित कर अन्तर कर जमा करने का नोटिस जारी किया गया। प्रार्थीया द्वारा अन्तर कर जमा न करने पर रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर के समक्ष पेश किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर द्वारा नोटिस अखबार में प्रकाशित कराते हुए प्रार्थीया को उपस्थित होने के निर्देश जारी किये। प्रार्थीया बावजूद प्रकाशन नोटिस उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय दिनांक 31.07.2006 पारित करते हुए कुल मांग राशि 1,02,740/– रूपये की मांग राशि के आदेश पारित किये गये। कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर के आदेश दिनांक 31.07.2006 से व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।
3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

08/06/17

लगातार.....2

4. बहस के दौरान प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कलक्टर द्वारा प्रकरण में क्रेता/विक्रेता को नियमित नोटिस जारी न करके, सीधा नोटिस प्रकाशन समाचार पत्र में कराया है जो अपठनीय होने से उसकी जानकारी या तामील क्रेता/विक्रेता को नहीं हुयी। इसके उपरान्त भी कलेक्टर द्वारा इस नोटिस को तामील मानते हुए **साईक्लोस्टाईल** रूप Non Speeking एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। जबकि कलेक्टर द्वारा निर्णिय पारित करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी करके तामिल करवाया जाना अनिवार्य है, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक दृष्टांत **1990 आर.आर.डी. 503** में निर्णित किया है। कलेक्टर द्वारा तथ्यों की सम्पूर्ण विचेचना व विश्लेषण करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया जाना चाहिये था, जबकि कलेक्टर द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए साईक्लोस्टाईल रूप में आदेश पारित किया है। अतः कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त किया जाये और निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाये।

5 बहस के दौरान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के आदेश का समर्थन करते हुए तथा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये, तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय सही है और डी.एल.सी. के आधार पर निर्धारित दर से कम दर पर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क दिया गया है। ऐसे में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त होने योग्य है।

6 प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीया को कलेक्टर द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश की जानकारी नहीं थी इसलिये प्रकरण पेश करने में विलम्ब हुआ। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलम्ब को कण्डोन किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाये।

7. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व पक्षकारों को जरिए प्रकाशन सुनवाई का समुचीत अवसर प्रदान किया गया इसके उपरान्त भी पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर निर्णय पारित किया गया। कलेक्टर द्वारा विधिक तथ्यों एवं प्रकरणों के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया, जो उचित है। कलेक्टर का निर्णय विधिक होने से इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, अतः निर्णय को यथावत रखते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।

9. प्रार्थीया निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से इनका निर्णय गुणावगुण पर

08/06/17

लगातार.....3

करना श्रेयस्कर होगा। अतः उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

10. कलक्टर की पत्रावली यह दर्शाती है कि कलक्टर के न्यायालय से विक्रेता को नियमित प्रकृति का नोटिस/सम्मन तामील न कराके, नोटिस को समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित कराया गया है और यह नोटिस जिसके समाचार की छाया प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है दिनांक 12.07.2006 की पेशी की सुनवाई के बाबत् कर्द प्रकरण कें क्रेता/विक्रेता की पत्रावलियों वास्ते समेकित रूप से प्रकाशित कराया गया है और प्रत्येक प्रकरण के संख्या के आगे (ए) विक्रेता का नाम (बी) क्रेता का नाम (सी) सम्पत्ति का विवरण के रूप में (ए), (बी) व (सी) की एक पंक्ति से बहुत सूक्ष्म व लगभग अपठनीय शब्दों से प्रकाशित है। कलेक्टर द्वारा समस्त प्रकरणों में विक्रेता को सुनवाई हेतु किसी प्रकार का विधिवत् नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया गया एवं पर्याप्त तामिली नहीं पायी जाती है। अतः कलेक्टर द्वारा **1996 आर.आर.डी. 503** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार क्रेता/विक्रेता को विधिवत् सुनवाई को अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2002 (1) आर.आर.टी. पेज 81** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की बाजार कीमत निर्धारित करने के लिये विक्रेता एवं क्रेता दोनों को सुना जाना आवश्यक है। नैसर्गिक न्याय का भी यही सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व सभी पक्षों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। किन्तु उपरोक्त समस्त विवेचन से यह भली–भांति स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया क्रेता एवं अप्रार्थीगण/विक्रेतागण को आक्षेपित आदेश दिनांकित 31.07.2006 पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी है। अतः प्रार्थीया के अधिवक्ता के उक्त आपत्ति विधि सम्मत होने से आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

11. प्रार्थीया के अधिवक्ता की आक्षेपित आदेश के संबंध में यह आपत्ति भी रही है कि **"अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक व मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना ही छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में रिक्त स्थान को पेन से भरकर आक्षेपित आदेश दिनांक 31.07.2006 को पारित किये गया है तथा उक्त आक्षेपित आदेश में रेफरेन्स को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं दिया गया है। इस लिये यह आदेश पोषणीय नहीं है।"** प्रार्थीया की ओर से की गई उक्त आपत्ति के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 31.07.2006 एकपक्षीय पारित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि प्रतिपक्षी के विरूद्ध एकपक्षी कार्यवाही अमल में है तब भी प्रार्थी/वादी को अपना मामला स्वयं साबित करना होगा। वह प्रतिपक्षी की किसी कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आक्षेपित आदेश दिनांक 31.07.2006

08/06/17

लगातार.....3

में रेफरेंस को स्वीकार करने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। उक्त आक्षेपित आदेश छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में रिक्त स्थान को पेन से भरकर पारित किया गया है। प्रतिपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होना रेफरेन्स को स्वीकार करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता। राजस्थान कर बोर्ड के पूर्व में पारित न्यायिक दृष्टांतों 2015(1) RRT पेज 154 तथा 2015(1)RRT पेज 157 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि साईक्लोस्टाईल फोरमेट में पारित आदेश तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किये बिना एवं मस्तिष्क का उपयोग किये बिना तथा यांत्रिक रूप से पारित किया गया आदेश है, जो विधि सम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 31.07.2006 में रेफरेन्स को गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है तथा उक्त आदेश साईक्लोस्टाईल फोरमेट में रिक्त स्थान को पेन से भरकर पारित किये गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 31.07.2006 तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किये बिना एवं मस्तिष्क का उपयोग किये बिना तथा यांत्रिक रूप से पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थीया के अधिवक्ता के उक्त आपत्ति विधि सम्मत होने से आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है एवं संबंधित पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सभी विधिक बिन्दुओं व तथ्यों पर विचार करने के प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

12. परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर के आदेश दिनांक 31.07.2006 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय संबंधित पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सभी विधिक बिन्दुओं व तथ्यों पर विचार करने के प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णित करे।

13. निर्णय सुनाया गया।

08/06/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य